अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 874(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय), हेड कांस्टेबल, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) ज्येष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यकियों के लिए आयु सीमा -।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक	44* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यकियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यकितयों की दशा में लागु होंगी या नहीं।**	**परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति यो आमेलन विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा। **[टिप्पण** : विद्यमान काडर के कर्मचारियों के वृत्तिक विकास के लिए 10 % पदों का प्रावधान प्रोन्नति के रूप में किया गया है, जिन्हें पोषक प्रवर्ग के अंतिम पदधारी के अगले उच्च प्रवर्ग में प्रोन्नत होने तक रखा जाएगा। इसके बाद इन पदों को 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।	**प्रोन्नति** :ऐसे विमानन सुरक्षा सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्तिः-** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन के ऐसे अधिकारी:- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से 56 अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है, तो उसकी रचना किस प्रकार की है।	**भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना.वि.सु.ब्यु-) - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्युरों - सदस्य (iii) उप-निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]

उषा पाढी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Head Constable, Group 'C' Posts, Recruitment Rules 2007, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Aviation Security Assistant in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Senior Aviation Security Assistant, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post(s)	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Aviation Security Assistant.	44* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 3 of the pay matrix.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation. [Note: 10% posts are provided as promotional avenue for career progression of existing cadre employees and will remain till the last incumbent in the feeder grade is promoted to the next higher grade. Thereafter, these posts will be covered under 100% deputation.]	**PROMOTION:** Aviation Security Assistants in Level 2 of the pay matrix Bureau of Civil Aviation Security with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **DEPUTATION:** Officers of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations or Union territory Police Organisations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or; (ii) three Years regular service rendered in the pay level 2 in the pay matrix.	Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering Promotion) consisting of the following:- 1. Dy. Director General, Bureau of Civil Aviation Security – Chairman 2. Joint Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security -Member 3. Deputy Director, Bureau of Civil Aviation Security - Member.	Not applicable.

			Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. AV-13029/001/2009-AS]

USHA PADHEE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 875(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) , स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी-I, श्रेणी-II और साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2001 को अधिक्रांत करते हुए, जहाँ तक उसका सम्बन्ध स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी –I) और स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II) के पदों से हैं, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-I और श्रेणी-II) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) और स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति-